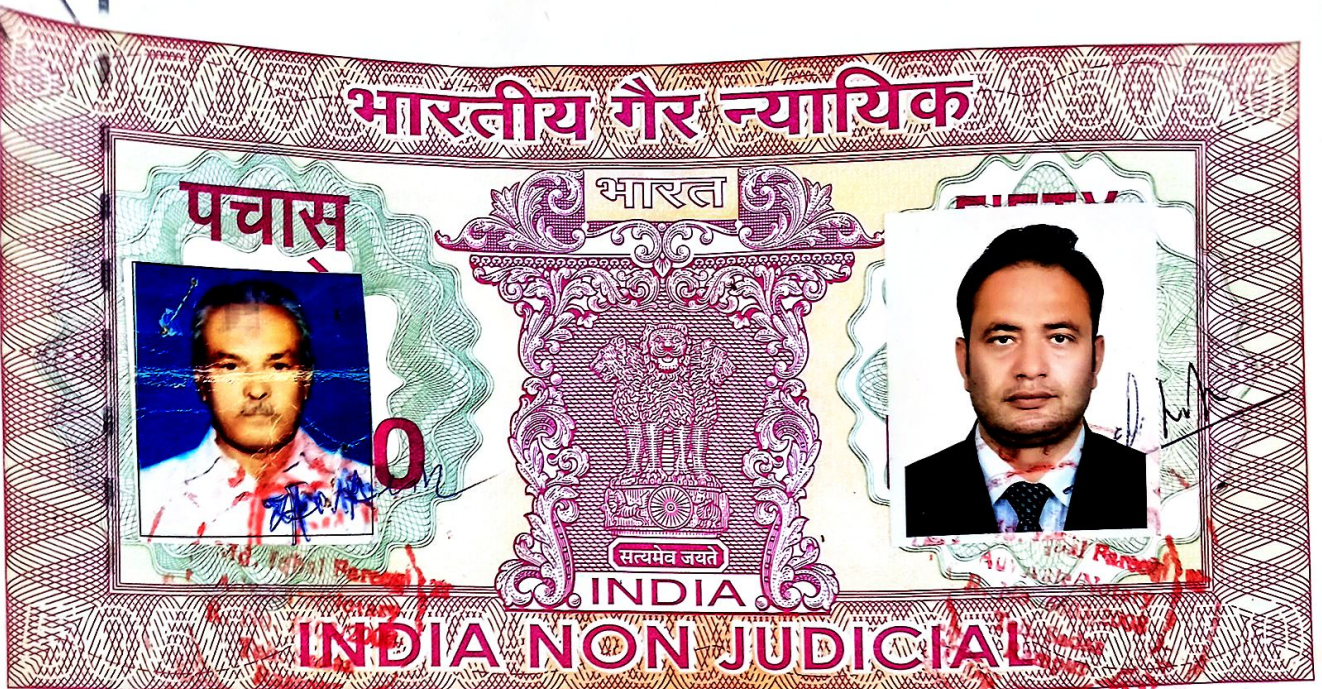




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 841408

क्रमांक-१० ५०५५५६६७ किराएनामा (मुद्रित)

मैंने इमरान खान पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री अबुल वाहिद खान निवासी/निवासीनी निम्न डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रोड
250/K सड़क शमाखाना रामपुरा हैं जोकि फरीके अव्वल (किरायेदार) और मे अपनी अपनों पूरे, खुशी, सजी
तन्दुरुस्ती की सझी हालत एवं गृही होश हवास में यह इकरार करता हूँ कि श्री/श्रीमती जुमरा अली खा पुत्र/पुत्री/पत्नी
श्री मुस्तफा अली खा निवासी/निवासीनी वज्जाली ताला इमली वाली महेन्द्रा जंकि
फरीके दोयम (मालिक) है से मे एक कता मकान/दुकान जोकि स्थान जुमरा कालोनी महेन्द्रा पर स्थित है को मे
10,000/- रुपये प्रति माह के हिसाब से ग्यारह भाद के लिए ले रहा हूँ और शपथपूर्वक यह इकरार फरीके अव्वल, फरीके दोयम से
करता है कि

1. यककि मे इस दुकान/मकान का किराया हर नाह की पहली तारीख समय से अदा करता रहूंगा।
 2. यहकि मे इस मकान/दुकान मे किसी तरह की तोड़फोड़ या तामीरात का काम नही कराऊंगा यदि किसी कारणवश कुछ इसका
आवश्यकता पड़ती है तो मे पहले इसकी इजाजत फरीके दोयम से लूंगा उसके हों कहने पर ही करूंगा वरना नही।
 3. यहकि यह किराएनामा ग्यारह माह तक चलेगा उसके बाद समाप्त हो जाएगा यदि फरीके दोयम चाहेगा तो इसे आगे बढ़ा सकता है
परना फरीके अव्वल को इस मकान/दुकान को खाली करना पड़ेगा।
 4. इस किराएनामे का फरीके अव्वल पाबन्द रहेगा।
- यह तहरीर आज दिनांक 01-12-2020 को फरीकेन एवं गवाहन की मौजूदगी मे लिख दी गई ताकि सनद रहे और वक्ते जरूरत
काम आये।

Asad Ali Khan
गवाह नं०-१

WITNESS

आजम अली जान श्री जमर अली खान
श्री वज्जाली ताला रामपुरा

गवाह नं० :-२

Asad Ali Khan

WITNESS

आजम अली खान श्री अबुल वाहिद खान
श्री निम्न डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रोड
250/K सड़क शमाखाना रामपुरा

EXECUTANT

EXECUTANT

(पेज नं० २)

- ७ यह कि उपरोक्त किराया नामा निम्न लिखित शर्तों पर लिख दिया गया है जिसमें उपरोक्त शर्तों को कि 50 रु के दस्तावेज पर शामिल है कालखंडी गई है.
- ① 2 माह का रुज्वा 20,000/- की दर पर जिसमें निरुद्ध 10,000/- दस्तावेज प्रत्येक होता है जो कि किरायेदारों में बंट जायेगा.
- ② दिल्ली का मौल मकान मौलिक के नाम से लगा हुआ है जिसमें दिल्ली स्वयं करेगा. दिल्ली दिल्ली कोषों उसका कुलान किरायेदार करेगा.
- ③ किरायेदार इस मकान में स्कूल डिप्लोमेन्ट का कोचिंग सेंटर चालोयेगा अन्य कोई और बान्नी बापे नहीं करेगा जिससे कि मकान मौलिक को कोई हानि पहुंचे. सारी जिम्मेदारी किरायेदार की होगी.
- ④ दिल्ली का हाथ या कोई सरकारी हाथ लगा है तो उसकी भी सारी जिम्मेदारी किरायेदार की होगी. मकान मौलिक को कोई जिम्मेदारी नहीं होगी.
- ⑤ यह किराया उमाह तक 10,000/- तक प्रत्येक माह के हिसाब से बढ़ा करेगा. और उमाह के बाद यह किराया 15000/- प्रत्येक किरायेदार बढ़ा करेगा. प्रत्येक माह के हिसाब से बढ़ा करेगा. 15000/- दस्तावेज प्रत्येक दिनांक 1-03-2021 से लागू होगा.
- मकान मौलिक को 11 माह से पहले भी अपना मकान वाली करा सकता है. एक माह का मौलिक देगा जिसमें किरायेदार को कोई देतराज नहीं होगा.
- यह किराया नामा आज दिनांक - 01-12-2020 से लागू होगा. 11 माह तक चलेगा उसमें बाद में शर्तों के साथ किराया नामा कौनगा.

अमर

अमर

अमर

अमर